संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
14 SEP 2017
2183
आवक क्रमांक

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2114/2591/2017/सत्रह/मेडि–एक — भोपाल, दिनांक 11/09/2017,

प्रति,

1– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये भोपाल।
2– समस्त संभागीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.

विषयः– विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की लघु शास्ति के अंतर्गत रोकी गई असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियों के संबंध में स्पष्टीकरण।

विषयांतर्गत प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) अनुसार लघुशास्ति के अंतर्गत असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धियों का प्रभाव समाप्त होने पर रोकी गई वेतनवृद्धियां नहीं लगाई जा रही है।

2/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत रोकी गई असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां लघु शास्ति के अंतर्गत आती है। लघु शास्ति के अंतर्गत रोकी गई असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियों का प्रभाव समाप्त होने पर रोकी गई वेतनवृद्धियां उनके वेतन में लगा दी जाएगी। रोकी गई असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि का जितने समय तक प्रभाव रहेगा उस अवधि में वेतनवृद्धि का एरियर आदि पाने की पात्रता नहीं होगी।

3/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) अंतर्गत दीर्घशास्ति के अंतर्गत संचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धियां प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी और न ही कभी प्राप्त होंगी।

कृपया उक्त निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक 2115/2591/2017/सत्रह/मेडि–एक — भोपाल, दिनांक 11/09/2017,

प्रतिलिपिः–

उपसंचालक (विज्ञप्त)संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग